



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 29, 2014/वैशाख 9, 1936

No. 230]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 29, 2014/VAISAKHA 9, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

\*\*\*\*\*

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2014

सा.का.नि. 301(अ).— भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार असम और मेघालय सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियमावली, 2014 होगा।
  - (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "असम-मेघालय" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

## "असम-मेघालय

संयुक्त असम-मेघालय संवर्ग के अधीन बरिष्ठ क्यूटी पद	143
असम	101
मुख्य सचिव	1
अध्यक्ष, असम प्रशासनिक अधिकरण	1
अपर मुख्य सचिव	1
प्रधान सचिव	9

कृषि उत्पादन आयुक्त	1
प्रधान निवासी आयुक्त, नई दिल्ली	1
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	1
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	1
प्रभागीय आयुक्त	4
आयुक्त और सचिव	19
कर, आयुक्त	1
आयुक्त, उद्योग	1
आयुक्त, पी एंड आरडी	1
महानिदेशक, असम प्रशासनिक स्टाफ महाविद्यालय	1
मुख्य सचिव के स्टाफ अधिकारी	1
सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव	19
आयुक्त, परिवहन	1
आयुक्त, उत्पाद-शुल्क	1
निदेशक, भूमि रिकॉर्ड	1
पंजीयक, सहकारी समितियां	1
उपायुक्त	23
सदस्य, राजस्व बोर्ड	1
निदेशक, सामाजिक कल्याण	1
श्रम आयुक्त	1
सीईओ, जेडपी	8
मेचालय	42
मुख्य सचिव	1
अध्यक्ष, प्रशासनिक सुधार	1
प्रधान सचिव	3
आयुक्त और सचिव	7
प्रभाग आयुक्त	1
आयुक्त और राज्यपाल के सचिव	1
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	1
सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव	9
निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलें	1
पंजीयक, सहकारी समितियां	1

	उपायुक्त	11
	निदेशक, सी एंड आरडी	1
	कर आयुक्त	1
	उत्पाद-शुल्क आयुक्त	1
	एडीसी/डीपीओ	2
1.	कुल बरिष्ठ छूटी पद	143
2.	सीडीआर उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं	57
3.	एसडीआर उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	35
4.	टीआर उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	5
5.	एलआर और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	23
6.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं	80
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1+2+3+4+5-6)	183
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	263*

[सं.11031/10/2013-अ.भा.से.-II(क)]

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवाएं)

- टिप्पणी (1): इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, संयुक्त असम-मेघालय संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 248 थी।
- टिप्पणी (2): मुख्य विनियम दिनांक 22.10.1955 की एस आर ओ सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, ये संयुक्त असम-मेघालय संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि.संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1	50(अ)	16.02.74	8	450	10.10.92
2	278(अ)	03.04.76	9	319(अ)	31.03.95
3	953(अ)	22.12.76	10	477	18.11.95
4	1538	12.11.77	11	739(अ)	31.12.97
5	511	05.06.82	12	449(अ)	08.07.99
6	676	17.09.83	13	765(अ)	03.11.08
7	21	10.01.87	14	188(अ)	24.03.09